न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 11/2019 (डूंगरपुर डिक्री)

1. कावा पिता हीरा कटारा, निवासी आडीवाट, तहसील झौथरी पाल, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. श्रीमती अमरी पत्नी हीरा कटारा, निवासी आडीवाट, तहसील झौथरी पाल, जिला डूंगरपुर (प्रतिवादी सं.1 मृतक हीरा की विधिक वारिस उसकी पत्नी)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. गणेश हडात पिता झूमा हडात, जाति मीणा, निवासी आडीवाट, तहसील झौथरी पाल, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. नारायण पिता रूपसी हडात, जाति मीणा, निवासी आडीवाट, तहसील झौथरी पाल, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. लालू पिता नाथू डामोर, जाति मीणा, निवासी आडीवाट, तहसील झौथरी पाल, जिला डूंगरपुर (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, सीमलवाडा हाल तहसीलदार झौथरी पाल, जिला डूंगरपुर (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान
काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी सीमलवाड़ा
दिनांक 18.05.2018, प्र. सं. 5/2013

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री नरेश जोशी अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री ए. मंसूरी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 1

———::———

निर्णय **दिनांक 17–02–2020**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं कब्जेयाबी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी नंबर 697/11/1 रकबा 5 बीघा भूमि मौजा आडीवाट में स्थित है, जिसपर प्रतिवादीगण द्वारा

जबरन मकान का निर्माण कर लिया गया है तथा अन्य आराजियात को भी जबरन हडपने की नियत से वादी के काश्त में रूकावट पैदा करते हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रतिवादीगण का कब्जा हटाया जा कर कब्जा वादी को दिलाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे वादी की खातेदारी की आराजियात में जबरन अतिक्रमण नहीं करें।

प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन कि विवादित भूमि पर उनका 100 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है तथा वादी का कब्जा नहीं होने से वह स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर तनकियां कायम की गयी तथा प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर मौके की रिपोर्ट के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 18–05–2018 से वादी का वाद स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 22–07–2019 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री ए. मंसूरी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 औपचारिक पक्षकार की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली के रेकार्ड पर हैं।

वकील अपीलान्ट द्वारा दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन सशपथ प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट पर कोई गौर नहीं किया है, जिसमें तहसीलदार स्वयं ने अंकित किया है कि मौके का नक्शा गुम हो गया है तथा नवीन नक्शे पर पटवारी का गिरदावर के हस्ताक्षर नहीं है। मौका रिपोर्ट के पेज नंबर 3 में स्वयं

पीठासीन अधिकारी ने अंकित किया है कि पेन्सिल से बनाया गया यह नक्शा विधि मान्य नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने विधि से इतर जाकर निर्णय पारित करने में भूल की है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि अनुसार होना बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में दिनांक 17–05–2018 के लिए पेशी नियत थी, किन्तु इसके स्थान पर बिना पक्षकारों की उपस्थिति के प्रकरण दिनांक 18–05–2018 को राजस्व लोक अदालत में रखकर वादी/ रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का वाद डिक्री कर दिया गया, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–05–2018 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 17–04–2020 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 17–02–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....

व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

रतन पिता तारूजी लोहार, निवासी चुण्डावाडा, तहसील डूंगरपुर हाल तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर व अन्य

बनाम

श्रीमती सुकी बेवा डूंगर नाई, निवासी चुण्डावाडा, तहसील डूंगरपुर हाल तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर व अन्य

अपील नं.....**16 / 2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**..... .....**बिछीवाड़ा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....24**.....माह.....**07**.....**2001**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**10**.....माह.....**02**.....सन् **2020** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री अमृतलाल पंचाल** ....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री शैलेष भण्डारी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24–07–2001 निरस्त की जाती है तथा इस न्यायालय के पूर्व निर्णय व डिक्री दिनांक 30–05–2016 को यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**10**.....माह.....**02**.....**2020** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.03.02 14:16:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: